बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–31/2017– **पटना, दिनांक–**

डा० योगेश कृष्ण सहाय, सह–प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अपनी पुत्री से मिलने हेतु दिनांक–**05.07.2019** से **14.08.2019** तक अटलाण्टा (यू०एस०ए०) (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० सहाय, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० सहाय, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० सहाय, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० सहाय, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. डा० सहाय, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/एल 1–31/2017– 515(17) /पटना, दिनांक– 20/6/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/डा० योगेश कृष्ण सहाय, सह–प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

19/06/19

सरकार के अवर सचिव।

D/Alok jee/Passport